कार्यालयः–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़

(e-mail id – dlsa21jhalawar@gmail.com, Phone no. 07432-294065

क्रमांक 1076 दिनांक : 03/03/2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ में निम्नानुसार योग्य/प्राधिकृत/रजिस्टर्ड/अनुभवी/सेवा प्रदाता/संवेदक से अनुबन्ध पर सफाई व्यवस्था सेवाऐं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए ली जानी है।

क्र. सं	नाम पद/सेवाऐं	श्रमिकों की संख्या	अनुमानित राशि
1	सफाई व्यवस्था (अकुशल श्रमिक)	01 जॉब बेसिस पर	80000 वार्षिक

उक्त सेवाओं के लिए इच्छुक व्यक्ति /सेवा प्रदाता एजेन्सियों/फर्मो के माध्यम से ली जानी है अतः इच्छुक व्यक्ति अविलम्ब इस कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है। अतः इच्छुक सेवा प्रदाता ऐजेन्सियाँ **सात दिवस के अन्दर अपने कोटेशन इस कार्यालय में पेश कर सकते हैं।** इस कार्यालय में सफाई व्यवस्था पर सेवाऐं लेने हेतु कोटेशन लेने की अंतिम तिथि 18.03.2025 को दोपहर 02 बजे तक है एवं कोटेशन 18.03.2025 को ही सांय 04 बजे खोले जायेगे।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ये सेवाऐं प्राधिकरण की संतुष्टि पर ही नियमित रहेगी अन्यथा इन्हें समाप्त करने का अधिकार इस कार्यालय को सुरक्षित रहेगा, एवं ये सेवाएं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए **31.03.2026** तक के लिये अनुबन्ध पर ली जावेगी इसके पश्चात् राज्य सरकार के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

नोटः– उक्त कोटेशन आमंत्रण (अंशकालिक) part time आधार पर ली जानी है।

3.3.2025

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
झालावाड़

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
झालावाड़

क्रमांक 1077–1085 दिनांक : 03/03/25

1. प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा पर चस्पा करने बाबत्।
2. जिला कलेक्टर झालावाड़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत्।
3. जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत्। ADJ, SC/ST, NDPS, CJM, ACJM & MJM
4. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी झालावाड़ को सूचनार्थ

3.3.2025

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
झालावाड़

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
झालावाड़

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़

कोटेशन प्रपत्र

1	कार्य का नाम :–	ए.डी.आर परिसर में साफ सफाई (जॉब बेसिस)
2	कोटेशन देने वाली फर्म का नाम व पूरा पता :	....

स्थाई :–..

स्थानीय :–..

3	कोटेशन दर प्रपत्र जिसे प्रस्तुत करना है :	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़
4	कोटेशन दर आमन्त्रण सूचना का सन्दर्भ :	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ संविदा सेवा / सफाई / 2025 /1076 दिनांक 03/03/2025
5	कोटेशन का अनुमानित मूल्य :	80000 / –
6	कोटेशन प्रपत्र शुल्क :	निशुल्क
7	कोटेशन जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय :	दिनांक – 18.03.2025 समय–दोपहर 2:00 बजे स्थान – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़
8	कोटेशन खोलने की दिनांक समय व स्थान :	दिनांक – 18.03.2025 समय–दोपहर 4:00 बजे स्थान – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़
9	कार्य अवधि :	**कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 31.03.2026**

नोटः– प्रस्तुत दरों में समस्त प्रकार के सफाई सामान के व्यय जैसे झाड़ू पौंछा, फिनाईल, सीढी, मशीन श्रमिक का वेतन, सर्फ,एवं देय कर जैसे सेवाकर, कर्मचारी कटौती, बीमा, टी.डी.एस व अन्य राजकीय वसूली योग्य सभी कर सम्मिलित है। जी.एस.टी ईपीएफ, व ईएसआई के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार / कर इस कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

अ) बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगाः–

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)				
5	आयकर (पेन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

ब) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये कोटेशन में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				ई.पी.एफ दर प्रतिशत	ई.एस.आई दर प्रतिशत	सामग्री राशि/उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सम्पूर्ण कार्यालय की सफाई व्यवस्था	1 अकुशल	285/- प्रतिदिन	1	285/-	13%	3.25%			

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तिया संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेगी।
(मानव संसाधन की सेवाऐं 04 घण्टे से कम अवधि की होने के कारण न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत राशि से गणना की जायेगी।)

शपथपत्र

मैं/हम कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ द्वारा जारी की गई सफाई कोटेशन की सभी वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। तथा कोटेशन शर्तो के सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो के सभी बिन्दुओं को स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करता हुँ/करते है।।

यदि हमारी कोटेशन को स्वीकार कर कार्यादेश दिया जाता है तो हम कार्यादेश जारी करने से पूर्व करारपत्र संपादित कर एवं धरोहर राशि जमा कराने के लिए तैयार हूँ तथा आदेश में उल्लेखित दिनांक से सफाई व्यवस्था शुरू कर दी जावेगी।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समस्त शर्तो का पूर्णतया अवलोकन कर लिया है मैं कोटेशन के साथ संलग्न शर्तो के लिए पूर्णतया सहमत हूँ और इन्हे मानने के लिए बाध्य रहूँगा।

संलग्नः– कोटेशन की शर्ते

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर मय सील
दिनांक :–
मोबाईल नम्बर :–

जॉब बेसिस पर सफाई कार्य हेतु संविदा की शर्तें

भाग (ए) संविदा की सामान्य शर्तें :-

1. कार्यालय में संविदा प्रपत्र एवं संविदा शर्तें जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर संविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों वही प्रपत्र संविदा में शामिल किया जावेगा।
2. निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले संविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्राप्त संविदा को यथा निर्धारित दिनांक व समय पर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित संविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा।
4. संविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त संविदादाता की स्वीकार नहीं होगी।
5. इस कार्यालय को किसी भी संविदा को (न्यूनतम दर वाले संविदा सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. सफाई व्यवस्था बाबत् कार्य योजना संविदादाता के पास उपलब्ध संसाधन व अनुभव आदि के सम्बन्ध में अपना प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी संविदादाता को बुलाया जा सकता है।
7. संविदादाता को अनुबन्ध की वार्षिक राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में कार्यालय के नाम बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध अवधि तक सफाई कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटाई जा सकेगी।
8. सफल संविदादाता को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संविदा शर्तों की पालना करने हेतु अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
9. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायालय झालावाड़ में ही की जा सकेगी।
10. संवेदक अनुबंधित अवधि में सम्पूर्ण कार्य को या कार्य के किसी भाग को अन्य एजेन्सी को सबलेट (स्थानान्तरित) नहीं करेगा।
11. कार्यालय द्वारा समय-समय पर किये गये कार्य का निरीक्षण किया जावेगा कमियां पाई जाने पर संस्था का प्रतिनिधि अविलम्ब दूर करवायेगा।
12. संविदा स्वीकार्य/खारिज करने का अधिकार इस कार्यालय को सुरक्षित रहेगा।
13. यदि किसी दिन सफाई व्यवस्था नहीं की जाती है तो वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर भुगतान किया जावेगा एवं यदि किसी दिन सफाई नहीं की जाती है तो 285/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।

भाग (ब) :- संविदा के अधीन सफाई योग्य क्षेत्र- संविदा के अधीन सफाई योग्य क्षेत्र में एडीआर सेन्टर के सभी शौचालय, इन्ट्रेस लॉबी, बाथरूम एवं टॉयलेट पर लगी टाईले, स्टॉफ रूम, चैम्बर सभी लोक अदालत रूम, सभाकक्ष, खिड़कियों के शीशे, छत-छज्जों, पानी की

टंकियों तथा परिसर के खुले स्थान, सड़क, पार्किंग, कचरा पात्र सफाई एवं परिसर के सभी कक्षों की नियमित सफाई शामिल होगी।

1. एडीआर भवन में दो लोक अदालत कक्ष एक मीटिंग हॉल एवं पीठासीन अधिकारी का चैम्बर, एक स्टॉफ रूम, एक स्टोर एवं एक अध्यक्ष कक्ष एवं सदस्य कक्ष तथ सीढ़ियां हैं।
2. संविदादाता, संविदा दरें प्रस्तुत करने से पूर्व एडीआर परिसर का स्वयं के स्तर पर कार्यायल समय में उपस्थित होकर अवलोकन कर सकता है।
3. सफाई कार्य हेतु समस्त उपकरण जैसे–पोंछा, टॉयलेट ब्रुश, वाईपर, दस्ताने, मास्क, कचरा ट्रोली, फावडा, सीढ़ी एवं अन्य सभी सफाई उपकरण संविदादाता को स्वयं के स्तर पर स्वयं के खर्चें पर सफाई कार्य हेतु कर्मचारियों को उपलब्ध कराने होंगे।
4. सफाई कार्य में प्रयुक्त सामान जैसे डिटरजेंट, फिनाईल, हारपिक, डेटोल, आदि की व्यवस्था संविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
5. सफल संविदादाता द्वारा नियोजित कर्मचारी की पहचान हेतु कर्मचारी का नाम, पता, मोबाईल न, एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
6. विशेष अवसरों जैसे राष्ट्रीय पर्व, होली–दीवाली विशिष्ठ अतिथि के आगमन दिवस पर कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सफाई की पूरी व्यवस्था करनी होगी।

(स) :– संविदा सफाई कार्य का विवरण :–

1. (1) कार्यालय परिसर में स्थित सभी कक्षों, गलियारों, रेम्प, सीढ़ियों, टॉयलेट एवं गेट के बाहर सड़क आदि की झाडू में सफाई करना।
   (2) फर्श/टाइल्स की झाडू से सफाई एवं गीले कपड़े से पोंछा लगाना।
   (3) समस्त टॉयलेट के फर्श, वाश बेसिन आदि की डिटरजेन्ट से धुलाई एवं फिनाईल डालकर पोंछा लगाना।
   (4) समस्त कचरे का एक जगह इकट्ठा कर जलाना।

2. सप्ताह में एक बार किये जाने वाले कार्य
   (1) सीढ़ियों, दीवारों व छतों की सफाई व जाले हटाने का कार्य
   (2) खिड़कियों दरवाजों की सफाई।

3. माह में एक बार किये जाने वाले कार्य
   (1) एडीआर भवन की ऊपर की छत की सफाई
   (2) अन्य निर्देशित सफाई सम्बन्धित सभी कार्य।

भाग (द) अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :–

1. संविदादाता द्वारा सफाई कार्य हेतु नियोजित कार्मिक के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं संविदादाता की होगी।

2. आपराधिक चरित्र/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी/ सजायाफ्ता कार्मिक को कार्य पर नियोजित नहीं किया जावेगा।
3. सफाई व्यवस्था हेतु निर्देशित व्यक्ति द्वारा इस कार्यालय की सम्पत्ति की चोरी या तोड़फोड़ से नुकसान पहुंचाने पर उसकी जिम्मेदारी संविदादाता की होगी एवं नुकसान की भरपाई संविदादाता से की जावेगी।
4. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना/मृत्यु होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी (क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने की) संविदादाता की होगी। इस कार्यालय की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
6. सफाईकर्मी हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक को ही लगाना होगा। कार्य के दौरान कोई भी सफाई कर्मचारी नशे में नहीं रहेगा।

भाग (य) :– भुगतान का तरीका तथा भुगतान का रोका जाना :–

1. सफाई कार्य हेतु संविदादाता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. भुगतान मासिक तौर पर या महीना समाप्ति के उपरान्त किया जावेगा।
3. संविदादाता द्वारा मासिक बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
4. वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें बिल की राशि में समायोजित किया जावेगा।
5. भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।
6. सेवाकर/ई.एस.आई. की राशि का भुगतान संविदादाता द्वारा ही जमा कराया जायेगा। क्योंकि प्रस्तुत दर समस्त करों सहित है।

नोटः– राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 और समस्त लेखा शर्तों की पालना किया जाना होगा।